मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004</u>

क्रमांक एफ 16–53/2016/पी–2/31 भोपाल, दिनांक / /2016

प्रति,

1– श्री हेमन्त श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त),
तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़

2– श्री एन.पी. शर्मा (सेवानिवृत्त),
तत्कालीन उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़

3– श्री जी.पी. सोनी (सेवानिवृत्त),
तत्कालीन उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़

द्वारा:– प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषय:–संयुक्त विभागीय जॉच विरूद्ध–श्री हेमन्त श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़ एवं अन्य 02 म.प्र.।

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम–9 के अंतर्गत विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों एवं कदाचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है।

2/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–18 सहपठित नियम–14 अंतर्गत एतद् द्वारा यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहे उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर शासन को प्रस्तुत करें।

यह भी सूचित करें कि :–

(अ) क्या आप स्वयं उपस्थित होकर कुछ निवेदन करना चाहते है।

(ब) क्या आप मौखिक जॉच कराना चाहते है।

(स) क्या आप अपनी ओर से साक्ष्य एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करना चाहते है। यदि हॉ तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

3/– आपकी ओर से प्रतिवाद का लिखित अभिकथन समयावधि में प्राप्त न हो तो यह मानकर कि आपको अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4/– कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

संलग्न:– 1. आरोप पत्र 2. अभिकथन पत्र
3. अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–53/2016/पी–2/31 **भोपाल, दिनांक 21/11/2016**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. संचालक, डॉटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया विभाग की वेबसाईट पर सूचना पत्र को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-आरोप पत्रादि.

21/11/16
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

C:\Users\hcl\Documents\KHAN--Application.doc

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री हेमन्त श्रीवास्तव (से.नि.) तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरूद्ध

आरोप पत्र

जब आप दिनांक 16.05.2013 से 15.12.2015 तक, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ, के पद पर कार्यरत थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरुद्व निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :–

आरोप क्र. 1 :– आपके द्वारा सक्षम अधिकारी की विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति लिये बिना एवं विभागीय नियमो का पालन न करते हुये निर्माणाधीन बनेट योजना, शाहपुर पिपरिया योजना, रुसल्ला बुजुर्ग स्टॉप डेम, कदवाया फीडर, इसौर योजना एवं बेरखेडी निर्माणाधीन सिचाई योजनाओ में निर्माण कार्य हेतु तथा सकर्रा,नरसूँखेडी, इत्यादि निर्मित योजनाओं पर मरम्मत कार्य हेतु, कुल 1,42,66,925/– का व्यय पीसवर्क माध्यम से किया गया। समस्त पीसवर्क पद्धति से कराये जाने वाले कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार पीसवर्क पर आपके द्वारा अनियमित व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गई है। विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है।

आरोप क्र. 2 :– माह दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 तक '15' माह में शासकीय कार्य हेतु आपके द्वारा वाहन किराया एवं पी.ओ.एल. हेतु आपके द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करते हुए रुपये 8,10,241/– व्यय किया गया है, जिसमें '550–डी' का पालन न कर, वित्तीय अनियमितता की गई है। विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है।

आरोप क. 3:– आपके व्दारा माप पुस्तिकायें उपसंभाग कार्यालयो व्दारा जारी करने में विधिवत्‌कार्यवाही नहीं की गई एव माप पुस्तिकाओं के संधारण नियमानुसार नहीं किया गया जिसके कारण माप पुस्तिकाये उपलबध नहीं हो रही हैं । शासकीय अभिलेखों का समुचित संधारण एव रख रखाव न किया जाकर आपके व्दारा पदीय दायित्वों का उल्लंघन किया ज़ा रहा है । विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है ।

— 02 —

इस प्रकार आपने म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 1.26 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन न करके म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन कर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री हेमन्त श्रीवास्तव (से.नि.) तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरूद्ध

अभिकथन पत्रक

जब आप दिनांक 16.05.2013 से 15.12.2015 तक अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ, के पद पर कार्यरत थे, उक्त अवधि में आपकें द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से संबंधित अभिकथन पत्रक निम्नानुसार हैं :–

आरोप क्र.–1 :–

आपके द्वारा सक्षम अधिकारी की विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति लिये बिना एवं विभागीय नियमो के पालन न करते हुय पीसवर्क माध्यम से कार्य किया गया। पीसवर्क पद्धति से किये गये कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार पीसवर्क पर आपके द्वारा अनियमित व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गई है। पूर्ण किये गये कार्यो का माप माप पुस्तिका में रिकार्ड किया जाना लेबिल के अनुसार दर्ज नहीं किया गया। योजना के किस भाग में कार्य कराया गया है, माप पुस्तिका में अंकित नहीं है। उपसंभाग के अन्तर्गत योजनाओं में किये गये व्यय में विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं तथा योजनाओ पर पीस वर्क पर कार्य कराये जाने के बाद भी योजनाये अव्यवस्थित अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त है। समस्त पीसवर्क पद्धति से कराये जाने वाले कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया गया जिससे पीसवर्क से किया गया भुगतान स्वीकार योग्य न होकर अनियमित भुगतान है।

आपके द्वारा विभिन्न योजनाओं में कराये गये पीसवर्क कार्य रुपये 1,42,66,925/–जिनका विवरण निम्नानुसार है।

बनेट योजना के बॉध में पीसवर्क पद्धति से किये गये कार्यो में मिट्टी का कार्य पिचिंग,तथा स्पिल चेनल का कार्य कराया जाना बताया गया है, जबकि स्थल पर कार्य अपूर्ण पाया गया है। (पीसवर्क कार्य रुपये 39,80,856/–)

–– 02 ––

शाहपुर पिपरिया में नहर के निर्माण कार्य हेतु पीसवर्क पद्धति से फिलिंग रीच में कार्य कराया जाना बताया गया है, जबकि स्थल पर नहर के सेक्शन अपूर्ण पाये गये। नहर का निर्माण वर्तमान में भी अपूर्ण स्थिति में है। (पीसवर्क कार्य रुपये 27,90,466/–)

रुसल्ला बुजुर्ग स्टॉप डेम में पीसवर्क के कार्य में नाला क्लियरेन्स किया जाना बताया गया जबकि इस योजना हेतु प्रभारी उपयंत्री श्री आर.के.चौरसिया द्वारा बताया गया कि सभी निर्माण कार्य निविदा द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी द्वारा कराया गया है,तथा नाला क्लियरेन्स का कार्य कराया नहीं गया। स्थल निरीक्षण में नाला क्लियरेन्स के कार्य की स्थिति नहीं पाई गई। (कुल पीसवर्क कार्य रुपये 8,00,000/–)

कदवाया फीडर योजना के स्लूस के पास पीसवर्क में मिट्टी का कार्य एवं पिचिंग इत्यादि कार्य कराया जाना बताया गया है, जबकि कार्य अव्यवस्थित एवं अपूर्ण स्थिति में पाया गया। (कुल पीसवर्क कार्य रुपये 8,32,914/–)

इदौर योजना में मिट्टी का कार्य रिपल की खुदाई पिचिंग इत्यादि में पीसवर्क के कुल रुपये 38,62,650/–. का कार्य कराया गया, जबकि यह कार्य निविदा से वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया गया है।

बेरखेडी बैरेज का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में मानसून पूर्व पूर्ण किया जाना बताया गया,तथा वर्ष 2014 के वर्षाकाल में बैरेज के दायी ओर नदी के किनारे में कटाव होने के कारण out flank हो गया था। फरवरी 2015 में पीसवर्क पर कुछ सुधार कार्य कराया गया,लेकिन स्थल पर बैराज क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया है। (कुल पीसवर्क कार्य रुपये रु.12,55,960/–)

इन योजनाओ के अतिरिक्त पूर्ण योजनाओं सर्करा,नरसूखेडी, इत्यादि पर पीसवर्क से मरम्मत कार्य कराये गये है। कुछ कार्य जो पीसवर्क पर कराये है उनमें योजना का नाम भी नही दिया गया हैं। (कुल पीसवर्क कार्य रुपये रु.7,44,079/–)

आरोप क्र.–2 :– माह दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 तक '15' माह में शासकीय कार्य हेतु आपके द्वारा वाहन किराया एवं पी.ओ.एल. हेतु रुपय 8,10,241/– व्यय, वाहन की लॉग बुक पूर्ण किये बिना किया गया है। वाहन किराये एवं पी.ओ.एल. में व्यय हेतु प्रमुख अभियन्ता जल संसाधन विभाग

भोपाल के पत्र कमांक नि.स./प्र.अ./3093007/03/2011 दिनांक 09.11.2011 में दिये निर्देशानुसार पालन नहीं किया गया है,तथा, '550–डी' का पालन न कर, वित्तीय अनियमितता की गई है।

आरोप कमांक 3 :– आपके व्दारा माप पुस्तिकायें उपसंभाग कार्यालयों व्दारा जारी करने में विधिवत् कार्यवाही नहीं की गई एवं माप पुस्तिकाओं के संधारण नियमानुसार नहीं किया गया । माप पुस्तिका कमांक 126, 300, 317 एवं 336 जिनमें आपके उपसंभाग के कार्यों का माप दर्ज किया जाना पाया गया लेकिन उनकी उपलबधता नहीं पाई गई ।

इस प्रकार आपने म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 4.26 में उल्लेखित कर्तव्यो का पालन न करके म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंधन कर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18.11.11
(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री हेमन्त श्रीवास्तव (से.नि.) तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरूद्ध

अभिलेखों की सूची

1) पीसवर्क पद्धति से कराये गये कार्यो का विवरण पत्रक।
2) वाहन एवं डीजल पर व्यय का विवरण पत्रक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री हेमन्त श्रीवास्तव (से.नि.) तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरूद्ध

गवाहों की सूची

(1) श्री कृष्ण गोपाल सिंह, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, गुना।

2) श्री एम.बी.सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अशोकनगर।

3) कुँ अमृता सिंघई, संलग्न अधिकारी जल संसाधन संभाग अशोकनगर।

4) श्री बी.सी.कोली, वरिष्ठ लेखा लिपिक, जल संसाधन संभाग अशोकनगर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग